



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

वाद संख्या-52/2026
C.W.J.C. No.12076/2026
सरोज देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य।

—: तार्किक आदेश :-

वाद संख्या-52/2026/..... पटना, दिनांक-.....

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद C.W.J.C. No. 12076/2026, सरोज देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2026 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्याय निर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

6. Having regard to the above made submissions, the present writ petition is disposed of by directing the Chief Election Commissioner of State Election Commission, Bihar, Patna i.e. Respondent No.4 herein to consider the representation dated 25.06.2026 (Annexure-7/3) and pass a reasoned order.

7. It is needless to mention that before passing any orders, the petitioner shall be given an opportunity of hearing. The entire exercise shall be completed as expeditiously as possible preferably within a period of 4 weeks from the date of receipt of a copy of this order. Any orders passed shall be communicated to the party."

- उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक-25.06.2026, दिनांक-17.08.2026 एवं दिनांक-16.09.2026 को आयोग में दिये गये Representation/Written argument पर आयोग में सुनवाई दिनांक-16.09.2026 को की गई, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में नैसर्गिक न्याय के नियम का अनुपालन करते हुये, श्रीमती सरोज देवी (वादी), श्री चतुरानन्द साहू, निवास-बासुदेवपुर, थाना-बड़हारा कोठी, जिला-पूर्णियाँ को अपना पक्ष रखने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया।

वादी श्रीमती सरोज देवी द्वारा स्वयं अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखा गया।

- वादी द्वारा अपना पक्ष Written Argument के रूप में दायर किया गया, जिसका प्रमुख अंश निम्नवत् है:-

"वादी द्वारा यह तर्क अंकित किया गया है कि न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिविजन), धमदाहा, पूर्णियाँ द्वारा निर्वाचन वाद संख्या-01/2021 में दिनांक-09.06.2026 को अंतिम न्यायादेश एवं जयपत्र पारित किया गया है, जो कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित पूर्णतः वैध अंतिम और निष्पादन योग्य न्यायिक डिक्री है। उनके द्वारा आगे तर्क अंकित किया गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा-137-सह-पठित धारा-139



के तहत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से उद्भूत होने वाले समस्त विवादों के न्यायिक निस्तारण हेतु केवल सिविल न्यायालयों को ही अनन्य अधिकारिता प्राप्त है। उनके द्वारा यह तर्क अंकित किया गया है कि उक्त सक्षम न्यायालय द्वारा निर्वाचन वाद संख्या-01/2021 के विपक्षी संख्या-01 के निर्वाचन को अवैध एवं शून्य घोषित करते हुए, द्वितीय सर्वाधिक वैध मत प्राप्त करने वाली योग्य प्रत्याशी अर्थात् आवेदिका को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-02 प्रखण्ड-बड़हारा कोठी, जिला परिषद, पूर्णियाँ के सदस्य पद पर विधिवत् एवं वैध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है। यह घोषणा विधि के शासन के अन्तर्गत अंतिम एवं अकाट्य है।

आगे उनके द्वारा यह तर्क अंकित किया गया है कि जब तक किसी सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश के क्रियान्वयन पर कोई औपचारिक स्थगन आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक वह निर्णय पूर्ण रूप से प्रभावी, बाध्यकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए तत्काल निष्पादनीय बना रहता है। चूंकि इस मामले में किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश अथवा व्यादेश पारित नहीं किया गया है, अतः औपचारिक स्थगन आदेश के अभाव में उक्त डिक्री तत्काल प्रवर्तनीय है।

आगे वादी द्वारा यह तर्क अंकित किया गया है कि "Fraud vitiates everything" अर्थात् छल-कपट एवं जालसाजी प्रत्येक विधिक अधिकार तथा प्रशासनिक प्रक्रिया को आरम्भ से ही शून्य बना देती है। अतः विपक्षी संख्या-01 श्रीमती जानी खातून द्वारा चचेरे ससुर मो० सलीम और चचेरी सास बीबी रूबीसा को माता-पिता दर्शाकर जाली प्रमाण-पत्र संख्या-BCCCO/2021/5251380 प्राप्त किया गया था, जिसके आधार पर उनके द्वारा आरक्षित सीट पर चुनाव में विजय प्राप्त की गयी थी, जिससे सक्षम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में शून्य घोषित करते हुए समाप्त कर दिया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा-139 सक्षम न्यायालय को यह विशिष्ट वैधानिक शक्ति प्रदान करता है कि निर्वाचित घोषित किया गया प्रत्याशी यदि अयोग्य पाया जाता है, या उसका नामांकन-पत्र अनुचित रीति से स्वीकृत हुआ था, तो न्यायालय उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर उस निर्वाचन में वैध प्राप्त करने वाले अन्य पात्र उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर सकता है। प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्राधिकारी को इस सांविधिक शक्ति और न्यायिक डिक्री के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

आगे उनके द्वारा यह तर्क अंकित किया गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा-122(1) के तहत न्यायिक डिक्री के उपरान्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत), पूर्णियाँ एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शपथ-ग्रहण की प्रक्रिया को रोककर रखना न्याय-संगत नहीं है।

आगे उनके द्वारा यह तर्क अंकित किया गया है कि प्रशासनिक एवं सांविधिक शक्तियाँ संविधान के मूल ढाँचे, कानून के शासन तथा सक्षम न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों के अधीन है। राज्य निर्वाचन आयोग अथवा जिला प्रशासन के पास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के गुण-दोष की पुनर्समीक्षा करने या उसके निष्कर्षों को अस्वीकार करने का कोई अपीलीय अधिकार नहीं है। यदि उनके द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-215 तथा न्यायालय के अवमानना अधिनियम-1971 के अन्तर्गत यह न्यायालय के अवमानना के दायरे में आती है।



अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि उन्हें निर्वाचन वाद संख्या-01/2021 में पारित आदेश के आलोक में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-02 प्रखण्ड-बड़हारा कोठी, जिला परिषद्, पूर्णियाँ के सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हुए, उनके नाम को विधिवत् बिहार राजपत्र गजट में अविलम्ब अधिसूचित करने का आदेश पारित किया जाए।

4. आयोग द्वारा वादी द्वारा दायर Representation, माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 के संगत प्रावधानों के साथ-साथ वादी के लिखित तर्कों का परिशीलन किया गया, तो यह पाया गया कि वादी का अधिकांश तर्क स्वीकार योग्य है।

आयोग वादी के इस तर्क से पूर्णतः सहमत है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा-137 के तहत पंचायत निर्वाचन से संबंधित विवाद के निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के लिए मुंसीफ न्यायालय तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के लिए अवर न्यायाधीश के न्यायालय (जिसके क्षेत्राधिकार में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पड़ता हो) हैं। आयोग वादी के इस तर्क से भी सहमत है कि आयोग उक्त न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णयों हेतु अपीलीय प्राधिकार नहीं है।

जैसा कि वादी द्वारा यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रशासनिक कार्य संवैधानिक शक्तियाँ, सांविधिक शक्तियाँ, संविधान के मूल ढाँचे एवं कानून के शासन के अध्वधीन है। अतः आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक प्रावधानों, इससे निःसृत वैधानिक प्रावधानों एवं नियमों के अनुपालन हेतु बाध्य है।

संविधान के अनुच्छेद-243k(1) के प्रावधानानुसार पंचायतों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में कराया जायेगा, जबकि उक्त कार्य हेतु राज्य विधान मण्डल द्वारा संविधान के अनुसार अनुच्छेद-243k(4) के तहत उपबंधों का निर्माण किया जायेगा।

उक्त संवैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह संवैधानिक दायित्व है कि संवैधानिक प्रावधानों के अध्वधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 (यथासंशोधित) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली-2006 (यथासंशोधित) के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं, का परीक्षण करें।

माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिविजन), धर्मदाहा, पूर्णियाँ द्वारा निर्वाचन वाद संख्या-01/2021 में दिनांक-09.06.2026 को पारित आदेश को उक्त संवैधानिक दायित्वों के दायरों में अवलोकित किया गया, तो दो तथ्य उभरकर सामने आते हैं:-

- (i.) प्रथम तथ्य यह है कि आदेश के प्रथम खण्ड में निर्वाचन वाद संख्या-01/2021 के प्रथम प्रतिवादी श्रीमती जानी खातून को जालसाजी के तहत प्राप्त जाति प्रमाण-पत्र के आरोप को सही पाये जाने पर जिला परिषद् सदस्य के पद पर निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाना तथा
- (ii.) द्वितीय तथ्य यह है कि आदेश के द्वितीय खण्ड में निर्वाचन वाद संख्या-01/2021 के वादी श्रीमती सरोज देवी को विजेता घोषित किया जाना, बिना अधिनियम की धारा उद्धृत किये हुए।

आयोग माननीय न्यायालय के आदेश के प्रथम खण्ड/तथ्य से पूर्णतः सहमत है, क्योंकि बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा-135 के परन्तुक के तहत आरक्षित सीटों पर केवल



बिहार राज्य के निवासी, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण सूची में शामिल है तथा उनकी आरक्षण कोटि उस पद विशेष के तत्समय घोषित आरक्षण रोस्टर के अनुरूप हो, आरक्षण का लाभ लेने हेतु अर्हित हैं, इसके लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः प्रथम खण्ड/तथ्य बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा-139(1)(क) से पूर्णतः आच्छादित है।

जबकि आयोग का माननीय न्यायालय के आदेश के द्वितीय खण्ड/तथ्य में पारित आदेश पर मत भिन्नता है, क्योंकि बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा-140 में निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने का प्रावधान अंकित है, जो कि निम्नवत् है:-

“(क) कि वस्तुतः अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों से बहुमत प्राप्त किया है ; या

(ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से प्राप्त मतों को छोड़कर अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार वैध मतों का बहुमत प्राप्त कर लिया होता ; तो विहित प्राधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन का रद्द घोषित करने के बाद यह घोषण करेगा कि यथा स्थिति अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है।”

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ भ्रष्ट आचरण के रूप में कुल 09 प्रकार के आचरणों को अधिनियम की धारा-141 में चिन्हित/अंकित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय के न्याय-निर्णय के द्वितीय खण्ड में यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव वाद संख्या-01/2021 के प्रथम प्रतिवादी श्रीमती जानी खातून को प्राप्त मतों को अधिनियम में अंकित किस भ्रष्ट आचरण के कारण कितनी संख्या में शून्य घोषित किया जा रहा है। जबतक डाले गये मतों को बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 के प्रावधानानुसार अवैध घोषित नहीं किया जाता है, तबतक किसी अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने का प्रावधान बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 में उपलब्ध नहीं है। अतएव माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिविजन), धमदाहा, पूर्णियाँ द्वारा निर्वाचन वाद संख्या-01/2021 में दिनांक-09.06.2026 को पारित आदेश का द्वितीय खण्ड संवैधानिक प्रावधानों से निःसृत वैधानिक प्रावधानों के संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश के द्वितीय खण्ड का अनुपालन सुनिश्चित करने पर वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के संकट उत्पन्न होता है एवं अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर अवमानना का संकट उत्पन्न होता है।

आयोग वादी के इस तर्क से सहमत है कि आयोग न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकार नहीं है और न ही आयोग के पास बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 के प्रावधानों के निर्वचन की शक्ति प्राप्त है, परन्तु एक संवैधानिक संस्था होने के नाते उत्पन्न वैधानिक संकट एवं दुविधा को सक्षम प्राधिकार अर्थात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष उपस्थापित करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है, क्योंकि विचाराधीन मामले में प्रावधान सुस्पष्ट रूप से बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 में अंकित है।



वादी द्वारा भी इस तथ्य को बार-बार रेखांकित किया गया है कि प्रशासनिक कार्य संवैधानिक एवं सांविधिक प्रावधानों के अध्यक्षीन कानून के शासन के तहत चलाना बाध्यकारी है। ऐसी स्थिति में आयोग के समक्ष उत्पन्न वैधानिक संकट के निराकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C.No...../2026 (राज्य निर्वाचन आयोग बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य) दायर किया गया है, हालाँकि उक्त समादेश याचिका में अबतक कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है, परन्तु मामले में वैधानिक प्रावधानों के निर्वाचन का मामला विचाराधीन होने के कारण माननीय न्यायालय के आदेश/अनुदेश की प्रतीक्षा न्यायोचित प्रतीत होता है, क्योंकि समरूप मामले में L.P.A. No. 891/2024, मन्जू देवी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा वैधानिकता के प्रश्न को स्वीकार किया गया है तथा उस वाद से संबंधित चुनाव याचिका के निर्णय के उस अंश पर स्थगन आदेश दिया गया है, जिसके तहत द्वितीय स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थी को अधिनियम की धारा-140 के प्रावधानों का उल्लंघन कर विजेता घोषित कर दिया गया है। उक्त L.P.A. No. 891/2024, मन्जू देवी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य मामले में दिनांक 10.09.2024 को पारित अंतरिम आदेश का प्रभावकारी अंश निम्नवत् है—

“4. In the present case, though the returned candidate had obtained the majority of the valid votes, there is no declaration as to such votes obtained by the returned candidate being invalidated on account of any reason, including that of corrupt practices. The returned candidate was found to be not liable to be declared elected only because the nomination was found void ab initio.

5. Prima facie, we are of the opinion that the election petitioner could not have been declared as elected, going by the above interpretation. We hence stay the impugned order only to that extent.”

वादी के अनुरोध के आलोक में आयोग माननीय उच्च न्यायालय, पटना से विचाराधीन मामले पर शीघ्र सुनवाई कर निर्णय पारित करने का अनुरोध करेगा।

उक्त वर्णित स्थिति में जबकि आयोग के समक्ष वैधानिक दुविधा/संकट की स्थिति उत्पन्न है तथा समरूप मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ के समक्ष पूर्व से ही विचाराधीन है। अतएव वादी के Representation दिनांक-25.06.2026, दिनांक-17.08.2026 एवं दिनांक-16.09.2026 में किये गये अनुरोधों को तत्काल स्वीकार करना संवैधानिक/वैधानिक प्रावधानों के अनुकूल एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वैधानिक संकट के मामले में बिना पूर्ण विचारण के लिया गया कोई भी गलत निर्णय भविष्य में उठने वाले समरूप मामलों के लिए गलत दृष्टांत प्रस्तुत कर सकते हैं।



आयोग के विद्वान अभिधारक(Retainer) श्री रवि रंजन को यह आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना से विचाराधीन मामले के शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश के साथ दायर Representation को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाए।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

17.09.2026

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

17.09.2026

वाद संख्या-52/2026/

प्रतिलिपि-सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वाद संख्या-52/2026/

प्रतिलिपि-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई-मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

वाद संख्या-52/2026/

प्रतिलिपि-श्रीमती सरोज देवी(वादी), श्री चतुरानन्द साह, निवास-बासुदेवपुर, थाना-बड़हारा कोठी, जिला-पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

वाद संख्या-52/2026/

प्रतिलिपि-श्री रवि रंजन, आयोग के विद्वान अभिधारक(Retainer), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वाद संख्या-52/2026/

प्रतिलिपि-श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



of 6